भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1888
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

'ऑपरेशन ग्रीन्स' के अंतर्गत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना

†1888. **श्री दिलेश्वर कामैत :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मूल 'टीओपी' (टमाटर, प्याज, आलू) फसलों के अलावा 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के अंतर्गत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मूल्य अस्थिरता का अनुमान लगाने और परिवहन तथा भंडारण राजसहायता जैसे अल्पकालिक उपायों को आरंभ करने में "मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क" की कितनी प्रभावशीलता है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत बिचौलियों को समाप्त करने हेतु प्रसंस्करण केंद्रों से सीधे तौर पर जोड़े गए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) 'ऑपरेशन ग्रीन्स - दीर्घकालिक अंत:क्षेप योजना के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में 10 फलों की फसलों, 11 सब्जी की फसलों और झींगे के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% प्रतिशत की दर से और कठिन, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी परियोजनाओं क्षेत्रों के लिए 50% प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 15 करोड़ ₹ की अनुदान सहायता है। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 13 एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की स्थिति **अनुबंध** में है।

(ख) फसल कटाई के बाद के नुकसान और मजबूरी में होने वाली बिक्री को कम करने, बाज़ार पहुंच बढ़ाने, और किसानों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु, भंडारण सहित फसल कटाई के बाद की विपणन अवसंरचना के समग्र विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 01.04.2014 से 'कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की है, जो 'कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)' की एक उप-योजना है।

एएमआई एक पूंजी निवेश, ओपन-एंडेड, मांग-आधारित, ऋण-लिंक्ड, बैक-एंडेड सब्सिडी योजना है। लाभार्थी जैसे व्यक्ति, कृषि-उद्यमी, किसान, एफ़पीओ, सहकारी समितियां और राज्य एजेंसियां आदि सहायता के पात्र हैं। योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों, महिला/अ.जा./अ.ज.जा.,प्रमोटरों,

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और एफ़पीओ आदि के लिए 33.33% की दर से और अन्य के लिए 25% की दर से सब्सिडी दी जाती है।

तथापि, आईएसएएम की एएमआई उप-योजना के अंतर्गत दिया गया बजट पूरी तरह इस्तेमाल हो चुका है, और आगे कोई निधि उपलब्ध नहीं है। इसलिए, दिनांक 10.06.2025 से आईएसएएम की एएमआई उप-योजना का कार्यान्वयन स्थगित किया गया है।

(ग) मंत्रालय उद्यमियों और संस्थाओं, जिनमें एफ़पीओ भी शामिल हैं, को खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना भी मांग-आधारित है और इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव देश भर से समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 30.07.2026 को उत्तर हेतु 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के अंतर्गत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना', के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1888 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएमकेएसवाई की 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के अंतर्गत स्वीकृत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थिति:

(करोड़ ₹ में)

स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाएँ	पूर्ण परियोजनाएँ	कुल परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता	जारी अनुदान सहायता
13	4	9	528.26	184.60	154.68